



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2022/381

—आदेश—

दिनांक 27-9-24

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का नाना तथा तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारडा तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खाता संख्या 53 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खारडा	53	महेन्द्रसिंह पुत्र थानसिंह	हुकमसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह पुत्र थानसिंह



क्रमांक/कोर्ट/2024/ 2036-2030
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का लुन्दाडा को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री हुकमसिंह पुत्र थानसिंह जाति राजपूत निवासी नाणा तहसील बाली को सूचनाार्थ।

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 27-9-24

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली